Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का महिला सशक्तीकरण में योगदान

डॉ0 हमेलता
आडिटर, स्थानीय निधि लेखा
परीक्षा विभाग, प्रयागराज
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश : किसी भी राष्ट्र में 'विकास' उसकी उपलब्ध मानव शक्ति की कार्यक्षमता, सामर्थ्य, गुणवत्ता व शिक्षा आदि बातों पर निर्भर करता है। भारत में महिला सशक्तीकरण और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पिछले कई दशकों से राष्ट्रीय नीति का अभिन्न अंग रहे हैं। इस दिशा में भारत सरकार ने एक महान पहल करते हुये 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' नामक एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना को 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत से प्रारमी किया गया। भारत सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, विकास और सशक्तीकरण की दिशा में लिया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से निर्मित है। भारत के हरियाणा राज्य से उस महत्वपूर्ण योजना को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि इस राज्य में लिंगानुपात बेहद संवेदनशील स्तर पर है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' नामक योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है जिसका मकसद है लोगों में बेटियों के जन्म से सम्बन्धित जो रूढ़िगत धारणा है, उसे तोड़ा जाय।

मुख्य शब्द : लिंगानुपात, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' महिला सशक्तीकरण।

स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं के प्रति चिंता राष्ट्रीय लोकतंत्र में भी एक महत्वपूर्ण आयाम थी। यही कारण कि लगभग सत्तर से अस्सी के दशक के मध्य में ही यह महिलाओं के प्रति चिंता का विषय एक शैक्षणिक चर्चा के रूप में भी शामिल हो गया था परन्तु इन सब के बावजूद वर्तमान में भी भारत के कुछ राज्यों में महिला–पुरुष लिंगानुपात के बीच असन्तुलन बड़ी मात्रा में देखा जाता है। यही कारण है कि आज भी महिला सुरक्षा के प्रति सभ्य समाज की चिंता जाहिर है। इस दिशा में भारत सरकार ने एक अहम पहल करते हुये 'बेटी बेचाओं, बेटी पढ़ाओ' नामक योजना की शुरूआत की।[1] इस योजना को 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया। हरियाणा से इसे शुरू करने का उद्देश्य यह है कि इस राज्य में लिंगानुपात बेहद संवेदनशील स्तर पर है।

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' नामक योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है जिसका मकसद लोगों में बेटियों के जन्म से सम्बन्धित जो रूढ़िगत धारणा है उसे तोड़ा जाए। मुख्य रूप से भारतीय समाज में स्त्रियों को

प्रदान किया गया दोयम दर्जा समाप्त करने की दिशा में इस योजना का रूझान है। इसके अतिरिक्त भ्रूण हत्या, लिंग निर्धारण, बालिकाओं की रक्षा एवं सुरक्षा तथा उनका विकास करना भी इसकी प्राथमिकता है।[2]

महिला सशक्तीकरण का अर्थ महिलाओं को घर, परिवार, समाज व राष्ट्र में अपनी नैसर्गिक क्षमता, स्वतंत्रता व मुक्ति का बोध कराकर इतना सशक्त बनाना कि वे अपने जीवन में व्यक्तिगत व सामाजिक निर्णय लेने की हकदार हो। पुरूषों के बराबर महिलाओं को वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में स्वायत्तता व निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना है।[3] इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुये केन्द्र सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, विकास और सशक्तीकरण की दिशा में लिया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से निर्मित है।

'बेटी पढ़ाओ– बेटी बचाओ' जैसी योजना सामाजिक दायित्वों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करती है और प्रेरित करती है कि वे समाज के उन संवेदनशील वर्गों के प्रति संवेदनशीलन नजरिया अपनाएं जिन्हें समाज ने ही संवेदनशील बनाया है। यह अपने आप में एक अभिनव पहल है। अक्सर योजनाओं और अभियानों का अंतिम परिणाम कई कारणों से असफल हो जाता है। किन्तु इस तरह की योजनाएँ सामाजिक बदलाव का संकेत अवश्य देती है। आज वैश्विक स्तर पर महिला अधिकार और महिला सशक्तीकरण की बातें हो रही हैं जिसका उद्देश्य आधी आबादी को समाज की मुख्यधारा से प्रत्यक्ष जोड़ना है। देश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना के सहारे शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना और महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना मलिला सशक्तीकरण की दिशा में एक अहम् और प्रभावशाली कदम हो सकता है। चूंकि शिक्षा ऐसा एक उपकरण है जो समाज में विचारों का संचार करती है और गलत–सही में फर्क सिखाती है। इसकी वजह से समाज में नैतिकता, स्थायित्व और बंधुता का विकास संभव है। सरकार की यह पहल निःसंदेह प्रशंसनीय है जिसमें महिला सशक्तीकरण जैसे गंभीर मसले पर एक मूल कारक को मजबूत करने का प्रयास आरम्भ किया गया हैं

भारत में संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न अनुच्छेदों में महिलाओं के कल्याण से सम्बन्धित व्यवस्था की गई है[4], यथा–

- अनुच्छेद 15 (1) – राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 15 (3) – राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार है।
- अनुच्छेद 16 (2) – राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में कोई भी नागरिक लिंग के आधार पर न तो अपात्र होगा न ही उससे विभेद होगा।
- अनुच्छेद 39 (क) – महिला व पुरुष को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन मिले।
- अनुच्छेद 39 (घ) – पुरूष व स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो।
- अनुच्छेद 39 (ङ) – पुरुष व स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर उन्हें ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के प्रतिकूल हो।

- अनुच्छेद 42 – राज्य काम की न्यायसंगत व मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।
- अनुच्छेद 47 – पोषाहार और जीवन–स्तर सुधार के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार।
- अनुच्छेद 51 (क) (ङ) – (मूल कर्तव्य) ऐसी प्रथा का त्याग जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो।
- अनुच्छेद 243 (घ) (3) – प्रत्येक पंचायत में एक तिहाई सीट स्त्रियों के लिए आरक्षित।
- अनुच्छेद 243 (घ) (4) – पंचायतों मे अध्यक्ष पद के लिए भी एक तिहाई सीट स्त्रियों के लिए आरक्षित।

इस संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की आधारशिला रखी गई थी जिसे आगामी योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों के द्वारा और भी बल प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। इन संवैधानिक प्रावधानों का ही यह परिणाम रहा है कि आज महिला सशक्तीकरण की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं।

आज बुद्धिजीवी वर्ग में यह स्वीकार्य हो चुका है कि महिलाओं को उनके हक और समता से वंचित करना एक लोकतांत्रिक समाज के लिए घातक है। चाहे वह महिला के जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण हो या महिला के प्रति यौन हमला[3] । हमारा समाज ऐतिहासिक कारकों के आधार पर महिलाओं को समाज में उच्च या निम्न दर्जा देता रहा है। वह समय और वह समाज आज के समय और समाज से काफी भिन्न है। आज उस तरह के ना विचार है और ना वैसी परिस्थितियाँ फिर भी हम उसी पुरानी मानसिकता से क्यों ग्रसित है। क्योंकि हमारे समाज में स्त्री–पुरुष के बीच असमानता है। इसका मतलब हमारे समाज में कहीं ना कहीं गंभीर बीमारी है औरबिना इसे ठीक किए हमारा समाज अपने प्राकृतिक रूप में कार्य नहीं कर सकता।[6] वह खुशी की बात है कि सरकार की तरफ से इस दिशा में पहल की गई है जो महिलाओं के प्रति सामाजिक मानसिकता में बदलाव को संबोधित है। इसके पहले की कई योजनाएं प्रमुखतः अभियानों, रैलियों और कागजी कार्यों तक सीमित रह गई। किन्तु इस योजना में एक सन्देश है जिसे समाज के लोगों तक सही रूप में पहुँचाने की भी चुनौती है।

यह सही है कि शिक्षा ऐसी चीज है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए एक अमूल्य निधि है। इसका संरक्षण, पोषण और वितरण भी उसी रूप में जरूरी है। शिक्षा मानव को उन तमाम मुद्दों पर एक दृष्टिकोण प्रदान करती है जहाँ एक अशिक्षित व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमता से नहीं पहुँच पाता। एक लड़की को शिक्षित करने का मतलब होता है कि एक पूरे परिवार को शिक्षित किया गया है और वह लड़की अपनी अगली संतान को भी शिक्षित कर सकती है। इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' योजना शुरू की गई है जो घटते लिंगानुपात को कम करने में सहायक तो होगी ही, दीर्घकाल में समाज के विकास में भी अपनी महत्ती भूमिका अदा करेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. योजना पत्रिका, भारत सरकार, जनवरी, 2017, पृ0 13
2. मासिक पत्रिका बनिता, मार्च, 2016, पृ0 38
3. कुरूक्षेत्र पत्रिका, भारत सरकार, अक्टूबर 2016, पृ0 25
4. पी0एन0प्रभू, हिन्दी सामाजिक संगठन, पृ0 117
6. www.wikipedia.com